<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

पूंजराजसिंह बनाम लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी लोहावट)

सू.अ.अ. अपील संख्या 196/2022</th><th>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>25-07-2022</td><td>अपीलार्थी पूंजराजसिंह, निवासी बाला राजपूतों का ऐरिया, ग्राम रावतगढ, ग्राम पंचायत लालपुरा, पं.स. देचू जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.12.2021 में (1) मुझे जोधपुर जिले की देचू पंचायत समिति के लालपुरा ग्राम पंचायत में 13 दिसम्बर 2021 को आयोजित हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर से संबंधित ग्राम पंचायत लालपुरा में इस शिविर आयोजन में कुल कितनी राशि व्यय की गई व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी कार्यालय लोहावट) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।
अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) से जरिये पत्रांक 2198 दिनांक 22.07.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना पंचायत समिति देचू के स्तर की होने के कारण ऑनलाईन के माध्यम से इस कार्यालय द्वारा दिनांक 04.03.2022 को जबाब दिया गया कि उक्त परिवाद पंचायत समिति स्तर का होने से संबंधित विभाग को हस्तान्तरण कर दिया गया जिसके outward no. 8702937210 है। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 4 तक चाही गई सूचना पंचायत समिति देचू से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय से सूचना दिया जाना अपेक्षित नहीं है। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना पंचायत समिति देचू कार्यालय से संबंधित है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अब अपेक्षित नहीं है अतः अपीलार्थी की अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>